न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 40/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. भगवतीलाल पिता भंवरलाल सुनार निवासी नेगडिया का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. भैरूलाल पिता मोहन ब्राहम्ण
2. राधा पुत्री मोहन ब्राहम्ण
3. पंकज पिता जगदीश ब्राहम्ण नाबालिग बविलायत जरिये माता पारसदेवी पत्नि जगदीश ब्राहम्ण
4. लता पुत्री जगदीश ब्राहम्ण नाबालिग बविलायत जरिये माता पारसदेवी पत्नि जगदीश ब्राहम्ण
5. पारसदेवी पत्नि जगदीश ब्राहम्ण **(डिलीट)**
6. गोपी पिता मोहन ब्राहम्ण
7. शंकर पिता मोडा गुजर

सर्व निवासी नेगडिया का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

8. महादेव जी स्थान (डोली) बजरिये पुजारी उदयराम भारती निवासी फुंकिया तहसील सहाड़ा।
9. देवीलाल पिता भंवरलाल सुनार
10. जगदीशी बाई पुत्री भंवरलाल सुनार
11. राधाबाई पुत्री भंवरलाल सुनार
12. मंजुदेवी पुत्री भंवरलाल सुनार
13. चान्दीबाई पत्नि भंवरलाल सुनार

सर्व निवासी नेगडिया का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः– 18/10/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम नेगडिया का खेड़ा पटवार हल्का नेगडिया खेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 813 रकबा 0.98 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 135 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं।प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। प्रार्थी अधिक्ता द्वा[illegible] विरूद्व को कोई कार्यवाही नहीं चाही। अतः विपक्षी संख्या 5 का नाम डिलीट करने का आदे[illegible] दिया [illegible]ता है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 8 बावजूद सूचना के अ[illegible] के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 9 लगायत 13 के अधिवक्ता द्वा[illegible] जवाबदेही बंद की जा[illegible]र्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवंग्राम नेगडिया का खेड़ा पटवार हल्का नेगडिया खेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:55:49 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश....02

प्रकरण संख्या :— 40/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 813 रकबा 0.98 हे0भूमि स्थित है।भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं,**उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 550/—(पांच सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 550/—(पांच सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:55:49 IST
Reason: SelfAttested